


उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर माण्डल

7/2/23

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपास्थित, अप्रार्थीगण के सम्मन के बाद तामिल होकर प्राप्त हुए, जिसे शा.प.के गये। अप्रार्थीगण को कितनी बार रुक-रुक कर आवाजे दिलायी जाने के बाद भी उपास्थित नहीं हुए, इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर निठयि पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फंसल शुमार हो कर नंबर से कम है।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

भूमि अधिकारी- नारायण जाल भीमगर (आर0ए0एस0)

ना संख्या- 08/23 प्राप्पत्र

श्री शंकर सिंह जाल नाहर सिंह रावत निवासी केरिया हाथ निवासी-गैकनेडा तालगाँव

-प्रार्थी

यनाम

श्रीमती उगमी जाल मंदा बलई निवासी- केरिया तहसील-माण्डल
राजस्थान राज्य परिए तहसीलदार साग माण्डल तहसील-माण्डल

-विपक्षीयण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.स. अधि. 1956

दिनांक :- 07-02-23


::आदेश::

ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.स.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन कि माग. केरिया पटवार हल्का केरिया तहसील माण्डल में उसके संयुक्त खाते की आराजी नं. 3412/2429 कुल कित्ता 0.1 रकवा 0.5059 रिश्त है। बाहरस्थ भूमि के विपक्षीयण के मध्य आराजी मुतदायिया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये का स्वामी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की के आदेश प्रदान कराये जावे।


प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 11.01.23 को पजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को पर्थ से यह बात सिद्ध है कि बाहरस्थ भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते कि की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य हैं।

::आदेश::

प्रार्थना पत्र धारा 111-128 रा.भू.स.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम केरिया पटवार रिया तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 3412/2429 0.1 रकवा 0.5059 हेक्टर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख आलमारा को 500/- रुपये/- कमिश्नर फौरा पर कमिश्नर फौरा जमा होने अन की भू-जुदगी में मोफे व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकौल विन्दु को आधार पत्थरगढी की जावे। फसल खली होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख हैं कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा